म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./नियमन/बी–6/हर्बल औषधी/85/2227 भोपाल,दिनांक 04/08/2016

प्रति,

अपर/संयुक्त/उपंसचालक
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा,

विषयः– ''लाख, चिरोंजी एवं शहद'' के संबंध मे।

संदर्भः– मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 21 जुलाई 2016

उपरोक्त विषय संदर्भ मे म.प्र.कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 60 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग मे लाते हुए, राज्य सरकार, द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची के शीर्ष ''बारह–वन उपज'' के अधीन मद क्रमांक 01 मे ''लाख'', क्रमांक 05 मे ''चिरोंजी'' तथा क्रमांक 07 में उल्लेखित ''शहद'' को विलोपित करने के लिए, ऐसे समस्त व्यक्तियो की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है जानकारी के लिये अपना प्रस्ताव मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 21.7.2016 मे प्रकाशित किया गया है एवं एतद्द्वारा यह सूचित किया गया है कि इस सूचना के ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' मे प्रकाशित होने की तारीख से छः सप्ताह के अवसान होने पर विचार किया जायेगा। सुलभ संदर्भ हेतु राजपत्र की छायाप्रति संलग्न है।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध मे किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान होने के पूर्व प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग भोपाल को प्राप्त हो राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा।

अतः आपके संभाग अन्तर्गत मंडियो मे उपरोक्त राजपत्र दिनांक 21.7.2016 की प्रति चस्पा कर समुचित प्रचार–प्रसार किया जाकर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त होने पर विहित समयावधि मे मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करे।

राजपत्र दिनांक 21.7.2016 के आंचलिक कार्यालय/मंडियो मे चस्पा/प्रचार–प्रसार हेतु कृत कार्यवाही का एकजाई पालन प्रतिवेदन एक सप्ताह मे मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

अपर संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 298] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 21 जुलाई 2016—आषाढ़ 30, शक 1938

## किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2016

क्र. डी-15-41-2016-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 60 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची के शीर्ष ''बारह-वन उपज की अधीन मद क्रमांक 1 में ''लाख'', क्रमांक 5 में ''चिरोंजी'' तथा क्रमांक 7 में उल्लेखित ''शहद'' को विलोपित करने के लिए, ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है जानकारी के लिये अपना प्रस्ताव प्रकाशित करती है और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्ताव पर इस सूचना के ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशित होने की तारीख से छः सप्ताह के अवसान होने पर विचार किया जायेगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान होने के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग भोपाल को प्राप्त हो राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**बी. एस. धुर्वे**, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2016

क्र. डी-15-41-2016-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 21 जुलाई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**बी. एस. धुर्वे**, उपसचिव.

Bhopal, the 21st July 2016

No. D-15-41-2016-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by the provison to Section 60 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of the year 1973) the State Government hereby, publish its proposal to delete item to I "Lac", item V "Chironji" and item VII "Honey" under the heading "XII-Forest Produce" of the Schedule of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said proposal will be taken into consideration on the expiry of six weeks from the date of publication of this notice in the "Madhya Pradesh Gazette" .

Any objection or suggestion which may be received by the Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh Farmer Welfare & Agriculture Development Department, Bhopal from any person with respect to the said draft before the expiry of period specified above will be considered by the State Government.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. S. DHURVE, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.